न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 02/2014

वादी:—
1. श्री कुपाराम पुत्र श्री सवाजी जाति कुम्हार, उम्र 75 वर्ष निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण:—
1. श्री पेमाराम पुत्र श्री सवाजी, जाति कुम्हार, उम्र व्यस्क निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)
2. राज्य सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राजस्थान)

उपस्थिति:—

1. श्री दुष्यन्त व्यास, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री मनोहर दास वैष्णव,विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या एक

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णय:— दिनांक 10.02.2020

1. इस न्यायालय द्वारा इस वाद में दिनांक 31—10—2019 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकवा 17 बीघा 06 बिस्वा भूमि पक्षकारों के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर अलग—2 खसरा नंबर, रकवा एवं लगान का निर्धारण कर नजरी नक्शा में दर्शाया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, पाली को आदेश दिया गया।

2. तहसीलदार, पाली ने उनके पत्रांक/राजस्व/2020/86 दिनांक 15—01—2020 के द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया। जिसमें निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट भू.अ.नि. बोमादड़ा से ली गई। प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम उतवण के खसरा नम्बर 58/1 खाता सख्या 68 मे दो खसरे है। खसरा नम्बर 58 एवं 58/1 जिसमें से प्राथमिक डिक्री खसरा नम्बर 58/1 की जारी हुई है जिसकी पालना में बटवाड़ा कर दिया है ग्राम आकेली की जमाबंदी संवत् 2074—2077 में संयुक्त खातेदारी में 58/1 खसरा नम्बर मे कूपाराम पुत्र सवाराम के नाम आईडीबीआई बैंक शाखा पाली के नाम रहन दर्ज है जो प्राथमिक डिक्री में नहीं बताया गया है ग्राम आकेली में बटा नम्बर 58/2 जमाबन्दी मे पहले से है अतः नया बटा नं. 58/3 दिया गया है ग्राम आकेली के खसरा नम्बर 58/1 रकबा 17.06 बिघा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के बिच खसरा नम्बर रकबा एवं लगान का निर्धारण किया जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाड़ा तैयार कर प्रेषित किया जिसको शामिल मिसल किया गया।

Rohi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अतः अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि तहसीलदार, पाली द्वारा प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाकर सरहद मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेरवा मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा भूमि का खातेदारों के बीच बंटवाड़ा किया जाकर पृथक–2 खसरा नंबर, रकबा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	कुपाराम पुत्र सवाजी कौम कुम्हार सा. आकेली खातेदार	58/1	8.13	बा.सो.	2.25
2.	पेमाराम पुत्र सवाजी कौम कुम्हार सा.आकेली खातेदार	58/3	8.13	बा.सो.	2.25

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में एवं नजरी नक्शा अनुरूप राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। अंतिम डिक्री परमा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं अंतिम डिक्री परचा की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को पालना करवाने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,
बइजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 02 सन् 2014

अंतर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट,1955

वादी:–

1. श्री कुपाराम पुत्र श्री सवाजी जाति कुम्हार, उम्र 75 वर्ष निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. श्री पेमाराम पुत्र श्री सवाजी; जाति कुम्हार, उम्र व्यस्क निवासी आकेली, तहसील एवं जिला पाली (राजस्थान)
2. राज्य सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राजस्थान)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दुष्यन्त, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री मनोहर दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम उतवण मे स्थित खसरा संख्या 58/1 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा भूमि का खातेदारों के बीच बंटवाड़ा किया जाकर पृथक–2 खसरा नंबर, रकबा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है:–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	कुपाराम पुत्र सवाजी कौम कुम्हार सा. आकेली खातेदार	58/1	8.13	बा.सो.	2.25
2.	पेमाराम पुत्र सवाजी कौम कुम्हार सा.आकेली खातेदार	58/3	8.13	बा.सो.	2.25

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में एवं नजरी नक्शा अनुरूप राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य...... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.................................

ओहदा.................................

कृ0पृ0उ0

मुहर

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Rohit

पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.17 13:09:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: